NT>
Title: Regarding Supreme Court's order to impose ban on mining activities in the Aravalli Hill areas of Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। अरावली श्रृंखला, अरावली पहाड़ के ऊपर खनन का कार्य रूक जाने के कारण राजस्थान के 65 लाख आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक गरीब और पिछड़े वर्ग के सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे।â€¦ (व्यवधान)

महोदय, तीन दिन से सारा कार्य वहां ठप पड़ा है। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पांच हजार खनन की खानें बंद हो गई हैं, 8000 इकाइयां मारबल, ग्रेनाइट और पत्थर की सारी की सारी खानें बंद हो गई हैं। परिणामस्वरूप राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाला करोड़ों रुपए का राजस्व बंद हो जाएगा और पर्यावरण के नाम पर, अकाल की स्थिति से, लगातार चार साल से वर्षा न होने के कारण राजस्थान वैसे ही भुखमरी का शिकार हो रहा है तथा भूख के कारण किसान मौत के मुंह में जा रहे हैं। अरावली खनन का कार्य बंद होने के कारण वहां और भी ज्यादा बेकारी और भुखमरी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक पक्ष बन कर और सोलिसिटर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय में भेज कर, राजस्थान की पीड़ित जनता को बेरोजगार होने से, भुखमरी के मुंह में जाने से और देश को खनिजों का नुकसान होने से बचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

महोदय, यह बहुत अहम् समस्या है, हमारे साथी भी इसी मामले में बोलना चाहते हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या गंभीर है इसलिए मैं भी एसोशिएट करता हूं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने बोल दिया, रिकार्ड हो गया, खाली इससे काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान की बहुत बुरी हालत है। पहले अकाल की वजह से लोग मर रहे थे और अब पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। वहां टोटली डेवलपमेंट रूक गया गया है और लोगों के पास आत्महत्या के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए इसे सरकार बहुत सीरियसली ले।â€¦ (व्यवधान)

महोदय, राजस्थान पूरा तबाह हो गया है और अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।â€¦ (व्यवधान) वहां न कोई सड़क बन सकती है, न स्कूल बन सकता है और न ही कोई बिल्डिंग बन सकती है तथा न कोई मकान बन सकता है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मेरे पास दो और नोटिस हैं - एक नोटिस भैरूलाल मीणा जी का है और दूसरा गिरधारी लाल भार्गव जी का है।

â€¦ (व्यवधान)

डॉ. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम सब को एक ही बात कहनी है कि राजस्थान को कैसे बचाया जाए।â€¦ (व्यवधान) केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार मिल कर इसके लिए कोई समाधान निकाले ताकि राजस्थान की जनता की समस्याओं का समधान हो सके। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस क्यों नहीं देते? आप नोटिस नहीं देंगे और सदन के नियमों को तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा।

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में आपका नोटिस नहीं है, आप बैठिए। Only Shri Girdhari Lal Bhargava is permitted by me to speak and nobody else. गिरधारी लाल भार्गव जी, आप बोलिए।

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर भार्गव, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सारे सदस्य एक साथ बोलने लगते हैं, आपका यह तरीका अच्छा नहीं है। मैंने जिनको पर्मिशन दी है केवल वही माननीय सदस्य भाग कर सकते हैं।

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आप एक सीनियर सदस्य हैं, यह तरीका अच्छा नहीं है। आप सब नियम तोड़कर बोलना चाहेंगे तो यह तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको समय दूंगा, लेकिन यह तरीका कहां का है कि सब एक साथ बोलने लगें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो नहीं लगता कि समस्या गंभीर है। जब आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता तो समस्या गंभीर कैसे है? आप सभी बैठ जाइये। भार्गव जी आप बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष जी, राजस्थान में पिछले चार सालों से अकाल पड़ा हुआ था और अब इन खानों के बंद होने से 14 जिले प्रभावित हुए हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। ईंट के भट्टे बंद हो गये हैं। मार्बल कार्य और खनन कार्य रोके जाने से मकान बनने बंद हो गये हैं। सीमेंट के, पत्थर के और मार्बल के दाम बढ़ गये हैं। इस विाय पर दलगत भावना से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों के लोग एक हैं। राजस्थान सरकार को जो आय होती थी वह भी इनके बंद हो जाने से खत्म हो गयी है। इसलिए सदन ऐसा विधेयक लाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यवाही की है उसका कोई रास्ता निकल सके क्योंकि यह राजस्थान के हित का सर्वदलीय प्रश्न है। यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, राजस्थान के सारे लोगों के हितों का प्रश्न है। खनन उद्योग पर जो रोक लगाई गयी है उस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पर्यावरण के नाम पर खनन कार्य पर रोक लगाई गयी है लेकिन राजस्थान सरकार ने सारी की सारी खानें उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बंद कर दीं। यह अनैतिक कार्य है और इन खानों को वापस खोला जाना आवश्यक है।

आप हमारे अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान के लोग आज बेरोजगार हैं, भुखमरी के कगार पर हैं और वे हमें मारेंगे, अगर हम यहां राजस्थान के हितों की बात नहीं करेंगे। इसलिए भारत सरकार को विधेयक लाकर बंद पड़ी खानों को खुलवाना चाहिए।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष जी, राजस्थान में खनन कार्य बंद हो जाने के कारण वहां के श्रमिकों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। लाखों की संख्या में गरीब लोग इस खनन के कार्य में कार्यरत थे। हिंदुस्तान जिंक लि., आरएसएमएम, सोपस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ग्रीन-मार्बल आदि 9 हजार 800 के करीब खानें बंद हो गयी हैं और उतने ही मालिक भी बेकार हो गये हैं। इसमें सीधे-सीधे तीन लाख मजदूर बेकार हुए हैं। अगर आप उनके परिवारों को मिलाकर बेकारों की संख्या देखेंगे तो यह संख्या 12 लाख से ऊपर बैठेगी, जिनके ऊपर इनके बंद होने का असर पड़ा है। कोर्ट के फैसले का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या हैं? कारणों के पीछे कोई नहीं जा रहा है? पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपया वन-विभाग द्वारा खर्च किया गया है लेकिन जो मौजूदा वन थे, वे आज नट हो गये हैं। वन-विभाग ने जो कोट-दीवार बनाई थी वे भी बेचकर खा जाते हैं। यदि कहीं किसी पहाड़ में कोई खान होती है तो वह छोटा सा टुकड़ा होता है।

उस टुकड़े से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता है। सारे वन नट करने के कारण दूति वायु फैली है। ऐसे लोग जो रोजगार में लगे हैं, यदि इस सरकार ने उनको बेरोजगार नहीं करना है तो ऐसा कानून लागू करना चाहिए। वन विभाग का नियम बिल्कुल गलत है। वह पांच साल पेड़ लगाने के बाद पांच साल तक उनका रख-रखा व करता है। फिर उसे छोड़ देता है जिस से एक साल में पूरा जंगल नट हो जाता है। यदि पर्यावरण की रक्षा करनी है तो वन विभाग को पाबंद करना चाहिए। वह अपना काम नहीं कर रहे हैं। वह करोड़ों रुपया खा गये हैं। जिन्होंने धंधा करने वालों की रोजी-रोटी छीन ली है, उनको कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। पहले भी कोर्ट का एक फैसला आया था जिस के अन्तर्गत आरक्षण को बंद कर दिया गया था। लोक सभा ने एक विधेयक लाकर उसे वापस लागू किया। 16 तारीख को कोर्ट का फैसला आना है। यदि वह इस खनन के फेवर में आ जाता है तो कोई बात नहीं। यदि नहीं आता है तो मैं सरकार और सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि विधेयक लाकर इसे फिर से चालू किया जाए जिससे लाखों लोग बेरोजगार न हों। हिन्दुस्तान जिंक जैसी लाखों बड़ी माइन्स हैं, जिन्हें अभी भारत सरकार ने बेचा है। जिन्होंने खरीदा है, उनका क्या होगा? इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः मैं सभी सदस्यों से कहूंगा कि कोई विाय आता है तो माननीय सदस्य उसके बारे में नोटिस देते हैं और मैं उनको बोलने इजाजत देता हूं। आपके इंटरस्ट में भी यही बात है। इस विाय में आपने सब का ध्यान आकर्ति किया। मैं समझता हूं कि यह विाय बहुत गम्भीर है। यदि आप चाहते हैं तो सोमवार या मंगलवार को दूसरे किसी माध्यम से इस विाय को उठाएं। मैं इस पर चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं। यहां संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं। मैं उनके सामने यह विाय रखूंगा और कहूंगा। यदि आप समझते हैं कि इस पर चर्चा की सख्त जरूरत है तो मैं उसे करवाने के लिए तैयार हूं। मैं भी सोचता हूं कि किसी न किसी माध्यम से इस पर चर्चा हो सकती है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आप भी इसी विाय पर बोलना चाहते थे। जब चर्चा होगी, उस समय मैं आपको इजाजत दूंगा। अब इस विाय में और कुछ बोलने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने भी नोटिस नहीं दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : इस पर पूरी चर्चा करवा ली जाए क्योंकि यह एक गम्भीर विाय है।

अध्यक्ष महोदयः मैं इस पर चर्चा जरूर दूंगा। बिश्नोई जी, आप दो मिनट बोलिए। यह विाय खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा विाय लूंगा।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पैटिशन पैडिंग थी, उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पावर्ड कमेटी बनायी और उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें स्पट रूप से दो गांवों का हवाला दिया गया और कहा कि दो गांवों में इल्लिगल माइनिंग हो रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसिजन दिया है, उसमें यह भी स्पट कहा है कि अरावली हिल्स में जो इल्लिगल माइनिंग हो रही है, उसे भी रोका जाए लेकिन बाद में कह दिया कि एनटायर अरावली हिल्स में सारा का सारा काम रोक दिया जाए। इसके बाद हालात यह बन गए हैं कि राजस्थान के 14 जिलों में माइनिंग का कार्य बंद हो गया है। इससे डायरैक्टली और इनडायरैक्टली 30-35 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लोन लेकर माइन्स डैवलप की थी और मशीनें लगायी थीं, वे सारी एक ही रात में बंद हो गईं। वहां पिछले चार वा से लगातार अकाल पड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायलय के निर्णय से सारे राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने जा रही है। मैं खास तौर पर भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो एक बिल लाकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में रिट पैटिशन फाइल की जाए।

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : केवल राजस्थान के गांव नहीं बल्कि हरियाणा के गांव भी इसमें आते हैं।

अध्यक्ष महोदयः चर्चा के समय आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं।